न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित–मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010005732026

Bail Application/308/2026

सुग्रीम उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र रामकेवल साकिन–सिन्हा रोहू डीला थाना–मोहाना, जिला–सिद्धार्थनगर। **–––प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **–––विपक्षी/आपत्तिकर्ता**

मुकदमा अपराध सं०–172/2025

अंतर्गत धारा–115(2), 352, 109 (1), 3(5) बी.एन.एस.

थाना–मोहाना, जनपद–सिद्धार्थनगर।

दिनांक–18.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र, उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त सुग्रीम की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष व बेगुनाह है, कोई जुर्म नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसे रंजिशन हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त मुकदमे में फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से किया गया है और विलम्ब का कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण वादी मुकदमा द्वारा नहीं दिया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक–22.12.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है और जेल में रहकर मुकदमे की पैरवी सुचारू रूप से नहीं कर पायेगा। वह घटना के समय मौजूद नहीं था बल्कि घटना के दिन वह अपने बहन के घर राज्य नेपाल के साकिन सेमरा थाना–मधुबेनिया जिला मरचवार में अपने बहन के यहां दवा इलाज के लिए गया हुआ था। वह सम्भ्रान्त परिवार का सदस्य है फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा न ही माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है न ही लम्बित है। प्रार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद माननीय न्यायालल का जहां भी उपस्थित होने का आदेश होगा वहां प्रार्थी उपस्थित होगा। तारीख पेशी पर उपस्थित होने में कोई व्यक्तिक्रम उत्पन्न नहीं करेगा। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा शादाब खान पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी शिवपतिनगर टोला नरखोरी, मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक–14.12.2025 को सम्बन्धित थाने में इस आशय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि " मैं शादाब खान पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम पंचायत शिवपति नगर टोला नरखोरिया थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर का

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.18 16:52:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मूल निवासी हूँ। हम और हमारे साथी युवराज पुत्र राजेश चौरसिया दूध लेने मानपुर गांव जा रहे थे सामने से सलमान पुत्र गयासुद्दीन, अजय पुत्र श्याम प्रकाश उर्फ गाले दोनों लेग मोटर साइकिल से जा रहे थे हमारे मोटरसाइकिल के सामने अपनी गाड़ी को इधर–उधर घुमाने लगे, हम लोग बोले कि ऐसा मत करो तो गाली गलौज देते हुए आगे चले गये, उधर से हम लोग दूध लेकर आ रहे थे तभी उधर से इनके मोटर साइकिल से तीन लोग जिसमे एक सुग्रीम भी था जो निवासी सिन्हा का है, ये तीनो लोग हम लोगों को चलते मोटरसाइकिल में मारने लगे जिसमे हमे काफी चोट लगी और युवराज बुरी तरह से घायल है और बेहोशी के हालत में एडमिट है। गाड़ी चलाते सयम हम लोगों को चोट लगी तब हमारी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर हाथी के मूर्ति से जा टकराई और हम लोग गिर गये। अतः निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण की जांच कर विधि कार्यवाई करें।"

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०) द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अजमानतीय व गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष व बेगुनाह है रंजिशन हैरान व परेशान करने की नियत से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से किया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत प्रदत्त की जाये।

7. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा व उसके साथी युवराज को गाली गलौज देने व मारने का आरोप है। सिटी स्कैन रिपोर्ट के अनुसार Comminuted depressed and displaced fracture parietal bone on left Side पाया गया। फर्द बरामदगी में डंडे की बरामदगी दर्शित की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य पाते हुये आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अजमानतीय व गम्भीर प्रकृति का है तथा उक्त अपराध आजीवन कारावास तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास के रूप में थाना लोटन पर मु०अ०सं०–94/25, अन्तर्गत धारा 305(ए), 317(2) बी०एन०एस० पंजीकृत होना दर्शित किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगण रखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है

<u>आदेश</u>

8. प्रार्थी/अभियुक्त सुग्रीम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक–18.03.2026</u>

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code- UP 6336